राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4231/2021

रवि भूषण पुरी पुत्र श्री राजेंद्र पाल पुरी, उम्र लगभग 80 वर्ष, निवासी 60/182, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), निर्माण भवन, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अपने रजिस्ट्रार-सह-सचिव के माध्यम से, एनबीसीसी केंद्र, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र, मां आनंदमई मार्ग, ओखला चरण- I, नई दिल्ली- 110020।

3. राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सरकारी डिस्पेंसरी परिसर, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।

---- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री आर.के.माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता श्री आदित्य किरण माथुर, अधिवक्ता ने की।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : सुश्री अनुराधा उपाध्याय, श्री अमृत कुमार सुरोलिया और श्री आदित्य सुरोलिया, अधिवक्ता।

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

<u>आदेश</u>

<u>20/10/2022</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

यह रिट याचिका अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.11.2020 (रिट याचिका में गलती से 27.11.2019 टाइप किया गया), 04.12.2020 और 04.06.2021 के पत्राचार/पत्रों को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे सेंट्रल काउंसिल-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपीलार्थी का नामांकन स्वीकार नहीं किया है।

2. अपीलार्थी ने एक अधिसूचना जारी करने का भी अनुरोध किया है जिसमें यह अधिसूचित किया जाए कि अपीलार्थी फार्मेसी अधिनियम, 1948 धारा 3 (जी) (इसके बाद "1948 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का प्रतिनिधि है।)

3. संक्षेप में, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, तथ्य यह है कि अपीलार्थी 1948 के अधिनियम की धारा 32(1)(क) के अनुसार राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में एक पंजीकृत फार्मासिस्ट है, जिसका पंजीकरण संख्या 7895 दिनांक 31.07.1986 है। अपीलार्थी के पास 2008 से 2013 की अवधि को छोड़कर, 1987 से 31.12.2027 तक राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की सदस्यता है। अपीलार्थी 1987 से 1991 तक राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रहे और उसके बाद राजस्थान फार्मेसी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1991 से 1997 तक काउंसिल और इसके बाद अपीलार्थी 1984 से राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे।

4. अपीलार्थी ने रिट याचिका में दलील दी है कि 1948 के अधिनियम के अध्याय- II धारा 3 के तहत केंद्रीय परिषद के गठन और संरचना का प्रावधान है जिसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है और 1948 के अधिनियम की धारा 3 (जी) के अनुसार प्रत्येक राज्य फार्मेसी काउंसिल को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य (अपने में से) का चुनाव करना होगा, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा।

5. अपीलार्थी ने दलील दी है कि एक पदधारी-श्री अजय फाटक, जिनका कार्यकाल पांच साल था, 20.07.2019 को राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य नहीं रहे और उनके स्थान पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में प्रतिनिधित्व करने के लिए नए सदस्य को चुना जाना था।

6. अपीलार्थी ने दलील दी है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की आम सभा की बैठक

29.07.2020 को आयोजित की गई थी और उक्त बैठक में, अपीलार्थी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था और तदनुसार, सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को दिनांक 29.07.2020 के पत्र द्वारा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपीलार्थी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में चुने जाने के संबंध में उचित सूचना दी गई थी। अपीलार्थी ने दलील दी है कि उसी दिन अर्थात 29.07.2020 को, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पूर्ववर्ती श्री अजय फाटक के स्थान पर अपीलार्थी को सभी विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए सूचित किया था।

7. अपीलार्थी ने दलील दी है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को दिनांक 30.07.2020 को एक पत्र भेजा और उनसे अपीलार्थी के फार्मेसी पंजीकरण प्रमाण पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र को अग्रेषित करने के लिए कहा और उसके उत्तर में, रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल दिनांक 04.08.2020 के पत्र द्वारा वांछित दस्तावेज अग्रेषित किये गये।

8. अपीलार्थी ने गुहार लगाई है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा दिनांक 04.08.2020 को पत्र भेजने के बावजूद जब अपीलार्थी के नाम को राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में जगह नहीं मिली, रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने दिनांक 25.08.2020 के पत्र के माध्यम से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अपीलार्थी के नाम को 1948 के अधिनियम की धारा 3 (जी) के तहत सदस्य के रूप में बिना किसी देरी के अधिसूचित करने का अनुरोध किया।

9. अपीलार्थी ने दलील दी है कि प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में अपीलार्थी का नाम अधिसूचित करने के बजाय, रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को 28.08.2020 को फिर से एक ईमेल भेजा, जिसमें फार्मासिस्ट के रूप में अपीलार्थी के पंजीकरण के बारे में प्रश्न उठाया गया था। हालाँकि, रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने फिर से दिनांक 30.09.2020 के पत्र के माध्यम से एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें 1948 के अधिनियम की धारा 3 (जी) के तहत अपीलार्थी की सदस्यता के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया।

10. अपीलार्थी ने दलील दी है कि प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 27.11.2020

को आक्षेपित पत्राचार जारी किया था जिसमें बताया गया था कि अपीलार्थी की सदस्यता के संबंध में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की 336वीं कार्यकारी समिति ने विचार किया था, जिसमें पाया गया कि अपीलार्थी के पास 1948 के अधिनियम की धारा 32(1)(क) के तहत अनुमोदित योग्यता नहीं थी और उनका नामांकन 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया।

11. अपीलार्थी ने दलील दी है कि दिनांक 04.12.2020 को एक अन्य पत्र द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिर से दोहराया कि अपीलार्थी के पास अनुमोदित योग्यता नहीं थी और उनका नामांकन 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

12. अपीलार्थी ने आगे दलील दी है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सूचित किया है कि उनके पास फार्मासिस्ट के रूप में अपीलार्थी के पंजीकरण को अस्वीकार करने या 1948 के अधिनियम की धारा 3 (जी) के तहत उसके पंजीकरण से इनकार करने की कोई शक्ति नहीं है। आगे खंडपीठ सिविल विशेष अपील संख्या 319/1984 (राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य) में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय का संदर्भ दिया गया था, जिसमें राजस्थान फार्मेसी काउंसिल उन फार्मासिस्टों को पंजीकृत करने की शक्ति दी गई थी, जिनके आवेदन 31.08.1981 को या उससे पहले प्राप्त हुए थे। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने अधिनियम 1948 की धारा 3(जी) के तहत अपीलार्थी की सदस्यता के संबंध में अधिसूचना जारी करने का फिर से अनुरोध किया।

13. अपीलार्थी ने रिट याचिका में अनुरोध किया है कि उसने प्रत्यर्थी-अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन प्रत्यर्थी-अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंततः, अपीलार्थी ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपीलार्थी के पक्ष में उचित अधिसूचना जारी करने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा।

14. प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिट याचिका में नोटिस जारी होने के बाद, एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दायर किया और दिनांक 04.06.2021 का पत्राचार रिकॉर्ड पर रखा, जिसके तहत अपीलार्थी की सदस्यता के मुद्दे पर कार्यकारी समिति द्वारा मई, 2021 में आयोजित अपनी 346वीं बैठक में फिर से विचार किया गया और यह पाया गया

कि अपीलार्थी फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं करता और इस तरह, अपीलार्थी का नामांकन स्वीकार नहीं किया गया।

15. अपीलार्थी ने रिट याचिका में संशोधन आवेदन दायर किया और रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी गई, इस प्रकार, संशोधित रिट याचिका दायर की गई और संशोधित रिट याचिका में अपीलार्थी ने दिनांक 04.06.2021 के पत्राचार को चुनौती दी है।

16. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के.माथुर ने प्रत्यर्थी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए निम्नलिखित दलीलें दी हैं:-

16क. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का आक्षेपित पत्राचार और निर्णय, 1948 के अधिनियम की धारा 32(1) (क) के तहत अनुमोदित योग्यता नहीं रखने के आधार पर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में अपीलार्थी के चुनाव को अस्वीकार कर करना, 1948 के अधिनियम का, स्पष्टत: अवैध, मनमाना और 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है।

16ख. 29.07.2020 को आयोजित राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की आम सभा की बैठक में अपीलार्थी को राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1948 के अधिनियम की धारा 3 (जी) के तहत सदस्य के रूप में चुना गया था और अपीलार्थी की पात्रता के बारे में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा उचित सूचना भी भेजी गई थी। और फार्मासिस्ट के रूप में उसका पंजीकरण, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास फार्मासिस्ट के रूप में अपीलार्थी के पंजीकरण को अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है।

16ग. अपीलार्थी को 1948 के अधिनियम की धारा 31 (डी) के तहत निर्धारित योग्यता के अनुसार विधिवत पंजीकृत किया गया है और उसका नाम 1948 के अधिनियम की धारा 32 के अनुसार रजिस्टर में दर्ज किया गया है, प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपीलार्थी की पात्रता पर प्रश्न उठाने की कोई शक्ति नहीं है।

16घ. अपीलार्थी एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत था, क्योंकि उसने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले अपना आवेदन जमा कर दिया था, और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल अपीलार्थी की पात्रता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट था, अत: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्हें राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के साथ 'गलत तरीके से पंजीकृत फार्मासिस्ट' के रूप में या 1948 के अधिनियम की धारा 31 (डी) के तहत निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं होने के रूप में नहीं मान सकता है।

16ड•. एक पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में अपीलार्थी व्यक्ति का नाम हटाने की शक्ति, यदि कोई हो, केवल कार्यकारी समिति द्वारा 1948 के अधिनियम की धारा 36 के अनुसार लागू की जा सकती है और ऐसी शक्ति का प्रयोग राजस्थान, फार्मेसी काउंसिल द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से पत्राचार प्राप्त करने के बाद भी, अपीलार्थी की अपात्रता या योग्यता की कमी के आधार पर, जैसा कि 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित है, नहीं किया गया है, इसलिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपीलार्थी का नामांकन स्वीकार करने से इनकार कर सके।

17. प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जवाबी शपथ-पत्र दायर किया है और दलील दी है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के साथ विभिन्न पत्राचार करने और अपीलार्थी की पात्रता और पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, 12.11.2020 को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। और यह निर्णय लिया गया कि अपीलार्थी के पास 1948 के अधिनियम की धारा 32(1)(क) के तहत निर्धारित अनुमोदित योग्यता नहीं थी और इस प्रकार, अपीलार्थी का नामांकन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जवाबी शपथ-पत्र दायर किया और दलील दी कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के साथ विभिन्न पत्राचार करने और अपीलार्थी की पात्रता और पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। 12.11.2020 को और यह निर्णय लिया गया कि अपीलार्थी के पास 1948 के अधिनियम की धारा 32(1)(क) के तहत निर्धारित अनुमोदित योग्यता नहीं थी और इस प्रकार, अपीलार्थी का नामांकन 1948 के अधिनियम प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

18. प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुरोध किया है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता से विधिक नोटिस प्राप्त होने के बाद, अपीलार्थी के पंजीकरण के संबंध में मामला 24.02.2021 को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की 44वीं कानून समिति की बैठक के

समक्ष फिर से रखा गया था और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार से कुछ जानकारी दाखिल करने के लिए कहने का निर्णय लिया गया। कानून समिति की सिफारिश को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति में रखा गया और उसके बाद अपीलार्थी के नामांकन को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया क्योंकि वह फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं करता था।

19. प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिट याचिका में संशोधन के बाद एक और जवाबी शपथ-पत्र दायर किया है और उन तर्कों को दोहराया है जो पहले उठाए गए थे।

20. प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती अनुराधा उपाध्याय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

20क. फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया सर्वोच्च निकाय है और फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए किसी भी व्यक्ति की पात्रता को सत्यापित करने के लिए बाध्य है और उसे यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र और योग्य व्यक्ति ही फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हों और उस पेशे में प्रवेश करें जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है।

20ख. अपीलार्थी 1948 के अधिनियम की धारा 31 (डी) के तहत निर्धारित प्रथम रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने की योग्यता पूरी नहीं करता था। अपीलार्थी के एक औषधालय में काम करने से संबंधित दस्तावेज जहां नुस्खे पर दवाएं दी जाती हैं, अपीलार्थी थे 29.08.1981 को राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में अपना आवेदन जमा करने पर उनके पास निर्धारित पांच साल का अनुभव नहीं था और उनके पास केवल तीन साल और एक महीने का अनुभव था और उन पर एक हंसा मेडिकल हॉल के साथ काम करने का भी आरोप है, जिसके औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत चिकित्सा चिकित्सकों के नुस्खे पर सभी दवाएं वितरित करने के लिए पास लाइसेंस नहीं था।

20ग. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया शीर्ष निकाय होने के नाते राज्य परिषद के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं करेगी जो उचित तरीके से पंजीकृत फार्मासिस्ट नहीं है और अपेक्षित योग्यता नहीं है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी सदस्य का राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा चुने जाने के बाद भी, वह किसी भी राज्य फार्मेसी परिषद का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी अहर्ता और योग्यता पर विचार करने का पूरा अधिकार है।

20घ. 1948 के अधिनियम की धारा 7 के तहत, प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्य केवल किसी रिक्ति के होने के कारण दोषी नहीं ठहराया जा सकता है प्रश्न है, यदि

रिक्ति को भरने के लिए उचित रूप से नामित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है और इस तरह, इसकी कार्रवाई न्यायिक जांच से मुक्त है।

20ड•. 1948 के अधिनियम की धारा 45 जांच आयोग की नियुक्ति की शक्ति देती है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी सदस्य की योग्यता पर प्रश्न उठाने और मामले में जांच करने का पूरा अधिकार है।

21. प्रत्यर्थी-राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने रिट याचिका का उत्तर दायर किया है और दलील दी है कि अपीलार्थी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष एक सदस्य के रूप में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत चुना गया था।

22. प्रत्यर्थी-राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने दलील दी है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में, उन्होंने उत्तर दिया और फार्मासिस्ट के रूप में अपीलार्थी के पंजीकरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज भेज दिए थे। प्रत्यर्थी-राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने उन विभिन्न दस्तावेजों को भी रिकॉर्ड में रखा है जो अपीलार्थी द्वारा पंजीकरण के समय प्रस्तुत किए गए थे।

23. प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन ने **फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम डॉ.एस.के.तोशनीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एवं अन्य (2021) 10 एससीसी 657** में रिपोर्ट किया गया, के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया।

24. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

25. वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला मुख्य मुद्दा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्ति के संबंध में है कि वह राज्य फार्मेसी काउंसिल के एक सदस्य को स्वीकार करने से इनकार कर दे, जो उनके द्वारा चुना गया है और उनके साथ विधिवत पंजीकृत है।

26. यह न्यायालय, मामले में आगे बढ़ने से पहले, 1948 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना उचित समझता है, जो निम्नवत पढ़ा जाता है:-

"**3. केंद्रीय परिषद का गठन और संरचना**.- केंद्र सरकार, यथाशीघ्र, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक केंद्रीय परिषद का गठन करेगी, अर्थात्:–

(क) को XX XX XX.

(ख) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा [अपने बीच से] निर्वाचित एक सदस्य, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा;

7. पदावधि और आकस्मिक रिक्तियां.–(1) से (4) XX XX

(5) केंद्रीय परिषद द्वारा किए गए किसी भी कार्य को केवल केंद्रीय परिषद में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके गठन में किसी दोष के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

19. **राज्य परिषदों का गठन और संरचना** - सिवाय इसके कि धारा 20 के तहत किए गए समझौते के अनुसार एक संयुक्त राज्य परिषद का गठन किया जाता है, राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक राज्य परिषद का गठन करेगी, अर्थात्: -

(क) राज्य के पंजीकृत फार्मासिस्टों द्वारा अपने बीच से चुने गए छह सदस्य;

(ख) पांच सदस्य, जिनमें से कम से कम [तीन] फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में निर्धारित डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति होंगे या [पंजीकृत फार्मासिस्ट], राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे;

(ग) जैसा भी मामला हो, प्रत्येक मेडिकल काउंसिल या राज्य की मेडिकल पंजीकरण परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित एक सदस्य;

(घ) राज्य का पदेन मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी या यदि वह किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो ऐसा करने के लिए उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति;

[(डीडी) [ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (1940 का 23)] के तहत राज्य के ड्रग्स नियंत्रण संगठन के प्रभारी अधिकारी, पदेन या यदि वह किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ऐसा करने के लिए लिखित रूप में;]

(ड़) [ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (1940 का 23)] के तहत सरकारी विश्लेषक, पदेन, या जहां एक से अधिक हैं, जैसे कि राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त कर सकती है:

बशर्ते कि जहां धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत एक समझौता किया जाता है, समझौते में यह प्रावधान किया जा सकता है कि अन्य भाग लेने वाले राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य परिषद में भी दो से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से कम से कम एक हर समय फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में निर्धारित डिग्री या डिप्लोमा रखने वाला व्यक्ति होगा या एक [पंजीकृत फार्मासिस्ट] होगा, जिसे उक्त

अन्य भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक की सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, और जहां समझौते में ऐसा प्रावधान है , राज्य परिषद की संरचना तदनुसार संवर्धित मानी जाएगी।

30. **प्रथम रजिस्टर की तैयारी.**–(1) पहला रजिस्टर तैयार करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीन व्यक्तियों से मिलकर एक पंजीकरण न्यायाधिकरण का गठन करेगी, और एक रजिस्ट्रार भी नियुक्त करेगी जो पंजीकरण न्यायाधिकरण के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(2) राज्य सरकार, उसी या समान अधिसूचना द्वारा, एक तारीख नियुक्त करेगी जिस दिन या उससे पहले पंजीकरण के लिए आवेदन, जो निर्धारित शुल्क के साथ होगा, पंजीकरण न्यायाधिकरण को किया जाएगा।

(3) पंजीकरण न्यायाधिकरण नियत तिथि पर या उससे पहले प्राप्त प्रत्येक आवेदन की जांच करेगा, और यदि यह संतुष्ट है कि आवेदक धारा 31 के तहत पंजीकरण के लिए योग्य है, तो रजिस्टर पर आवेदक का नाम दर्ज करने का निर्देश देगा।

(4) इस प्रकार तैयार किया गया पहला रजिस्टर उसके बाद ऐसे तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, और इस तरह प्रकाशित रजिस्टर में व्यक्त या निहित पंजीकरण ट्रिब्यूनल के निर्णय से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के भीतर कर सकता है। , आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से अपील कर सकता है।

(5) रजिस्ट्रार उप-धारा (4) के तहत नियुक्त प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार रजिस्टर में संशोधन करेगा और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है, निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(6) राज्य परिषद के गठन पर, रजिस्टर को उसकी अभिरक्षा में दे दिया जाएगा, और राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि पहले रजिस्टर में पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क के सभी या किसी निर्दिष्ट हिस्से का भुगतान राज्य परिषद के खाते में किया जाएगा।

31. **प्रथम रजिस्टर में प्रवेश के लिए योग्यताएँ.**– एक व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वह निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अपना नाम पहले रजिस्टर में दर्ज कराने का पात्र होगा यदि वह राज्य में रहता है, या फार्मेसी का व्यवसाय या पेशा करता है और यदि वह–

(क) फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा या किसी भारतीय विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा, जैसा भी मामला हो, या भारत के बाहर किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई निर्धारित योग्यता रखता हो, या

(ख) फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में डिग्री के अलावा किसी भारतीय विश्वविद्यालय की डिग्री रखता है, और एक अस्पताल या डिस्पेंसरी या अन्य स्थान पर दवाओं के संयोजन में लगा हुआ है, जहां कुल अवधि के लिए चिकित्सा चिकित्सकों के नुस्खे पर दवाएं नियमित रूप से वितरित की जाती हैं। तीन वर्ष से कम नहीं हो, या

(ग) कंपाउंडर या डिस्पेंसर के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(घ) धारा 30 की उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित तिथि से कम से कम पांच साल पहले की कुल अवधि के लिए किसी अस्पताल या डिस्पेंसरी या अन्य स्थान पर दवाओं के संयोजन में लगा हुआ है जहां दवाओं को नियमित रूप से चिकित्सा चिकित्सकों के नुस्खे पर वितरित किया जाता है।

32. **बाद के पंजीकरण के लिए योग्यताएँ.**–(1) धारा 30 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त तिथि के बाद और धारा 11 द्वारा या उसके तहत शिक्षा विनियम राज्य में प्रभावी होने से पहले, 3 [एक व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसे भुगतान करना होगा निर्धारित शुल्क] यदि वह राज्य में रहता है या फार्मेसी का व्यवसाय या पेशा चलाता है तो वह रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का पात्र होगा और यदि वह-

(क) केंद्रीय परिषद की पूर्व मंजूरी से निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, या जहां कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं, धारा 31 में निर्धारित अनुसार किसी व्यक्ति को अपना नाम पहले रजिस्टर में दर्ज करने का अधिकार देने वाली शर्तें,

36. **रजिस्टर से हटाना**–(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन, कार्यकारी समिति आदेश दे सकती है कि पंजीकृत फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा, जहां वह संतुष्ट है, उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद और ऐसी आगे की पूछताछ के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि इसे बनाना उचित लगे,–

(i) कि उसका नाम रजिस्टर में गलती से या गलत सूचना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाने के कारण दर्ज किया गया है, या

(ii) कि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी पेशेवर संबंध में किसी

गलत आचरण का दोषी ठहराया गया है, जो कार्यकारी समिति की राय में, उसे रजिस्टर में रखे जाने के लिए अयोग्य बनाता है, या

(iii) कि फार्मेसी के अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा नियोजित एक व्यक्ति 2 [या फार्मेसी के किसी भी व्यवसाय के संबंध में उनके अधीन काम करने के लिए नियोजित] को ऐसे किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया है या ऐसे किसी भी गलत आचरण का दोषी ठहराया गया है यदि ऐसा व्यक्ति एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होता, तो उसे खंड (ii) के तहत रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता:

बशर्ते कि खंड (iii) के तहत ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कार्यकारी समिति संतुष्ट न हो जाए-

(क) कि अपराध या गलत आचरण पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा उकसाया या मिलीभगत किया गया था, या

(ख) पंजीकृत फार्मासिस्ट ने अपराध या गलत आचरण की तारीख से ठीक पहले बारह महीने की अवधि के दौरान किसी भी समय एक समान अपराध किया है या इसी तरह के गलत आचरण का दोषी है, या

(ग) पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा अपने फार्मेसी के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति [या फार्मेसी के किसी भी व्यवसाय के संबंध में उसके अधीन काम करने के लिए नियोजित] उस तारीख से ठीक पहले बारह महीने की अवधि के दौरान किसी भी समय जिस दिन अपराध हुआ हो या गलत आचरण हुआ, समान अपराध किया या समान गलत आचरण का दोषी रहा, और पंजीकृत फार्मासिस्ट को ऐसे पिछले अपराध या गलत आचरण का ज्ञान था, या उचित रूप से होना चाहिए था, या

(घ) जहां अपराध या गलत आचरण एक अवधि तक जारी रहा, पंजीकृत फार्मासिस्ट को जारी अपराध या गलत आचरण का ज्ञान था, या उचित रूप से होना चाहिए था, या

(ङ) जहां अपराध [ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (1940 का 23)] के तहत अपराध है, पंजीकृत फार्मासिस्ट ने अपने व्यवसाय के स्थान पर और नियोजित व्यक्तियों द्वारा उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने में उचित परिश्रम नहीं किया है। उसे [या उसके नियंत्रण में व्यक्तियों द्वारा]।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक आदेश यह निर्देश दे सकता है कि जिस व्यक्ति का नाम

रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया गया है वह इस अधिनियम के तहत राज्य में पंजीकरण के लिए या तो स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए अयोग्य होगा जो निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) (3) उप-धारा (1) के तहत एक आदेश राज्य परिषद द्वारा पुष्टि के अधीन होगा और ऐसी पुष्टि की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक प्रभावी नहीं होगा।

(4) (4) उप-धारा (1) के तहत एक आदेश से व्यथित व्यक्ति, जिसकी पुष्टि राज्य परिषद द्वारा की गई है, ऐसी पुष्टि के पत्राचार से तीस दिनों के भीतर, राज्य सरकार और राज्य के आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है, ऐसी अंतिम होगी।

(5) एक व्यक्ति जिसका नाम इस धारा के तहत या धारा 34 की उप-धारा (2) के तहत रजिस्टर से हटा दिया गया है, उसे तुरंत अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को सौंप देना होगा, और इस प्रकार हटाया गया नाम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

45. जांच आयोग की नियुक्ति.–(1) जब भी केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि केंद्रीय परिषद इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार एक जांच आयोग नियुक्त कर सकती है जिसमें तीन व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें से दो को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और एक परिषद् द्वारा होगा, और इसमें वे मामले देखें जाएंगे जिन पर पूछताछ की जानी है।

(2) आयोग उस तरीके से जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा जो वह उचित समझे और उसे संदर्भित मामलों पर केंद्र सरकार को ऐसे उपायों, यदि कोई हो, के साथ रिपोर्ट करेगा, जिनकी आयोग सिफारिश करना चाहे।

(3) केंद्र सरकार रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है या उसे संशोधन या पुनर्विचार के लिए आयोग को भेज सकती है।

(4) रिपोर्ट अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के बाद, केंद्र सरकार केंद्रीय परिषद को आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर अनुशंसित उपायों को अपनाने का आदेश दे सकती है और यदि परिषद निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकता है या ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो।

(5) जब भी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि राज्य परिषद इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार इसी तरह एक समान जांच आयोग नियुक्त कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है या ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो उपधारा (3) और (4) में यथा निर्धारित है।

27. इस न्यायालय ने 1948 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन पर पाया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अलग-अलग सदस्य होते हैं और 1948 के अधिनियम की धारा 3 (जी) के अनुसार, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य निर्वाचित होना चाहिए उन्हीं में से प्रत्येक राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा, जिन्हें एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होना आवश्यक है।

28. इस न्यायालय ने पाया कि फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लिए, योग्यताएं 1948 के अधिनियम की धारा 31 में निर्धारित की गई हैं और उसमें निर्धारित किसी भी योग्यता रखने वाला व्यक्ति अपना नाम पहले रजिस्टर में दर्ज करा सकता है।

29. इस न्यायालय ने पाया कि 1948 का अधिनियम, 1948 के अधिनियम की धारा 32 के अधीन फार्मासिस्टों के नाम लिखने के लिए प्रथम रजिस्टर तैयार करने के बाद, बाद में पंजीकरण के लिए योग्यता का प्रावधान करता है।

30. रिकॉर्ड पर आए तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी को राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा 31.07.1986 को अधिनियम 1948 की धारा 32(1)(क) के तहत एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि इस मुद्दे के संबंध में राजस्थान सरकार में फार्मासिस्ट के पंजीकरण को इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय दिनांक 01.04.1986 द्वारा खंडपीठ सिविल विशेष अपील संख्या 319/1984 (राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य) में पारित किया गया था। और इस न्यायालय की खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 31.08.1981 तक प्राप्त सभी आवेदनों पर संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना था।

31. इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने कट-ऑफ तिथि से पहले अर्थात 29.08.1981 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था और इस प्रकार, उसका नाम 1948 के अधिनियम की धारा 32(1)(क) के तहत राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा बनाए गए फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज किया गया था।

32. इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी का फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण अभी भी प्रचलन में है और इसे 31.12.2027 तक नवीनीकृत किया गया है। इस न्यायालय ने पाया कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की आम सभा की बैठक 29.07.2020 को बुलाई गई थी और अपीलार्थी को राजस्थान फार्मेसी का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था और आज तक उनका नाम राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा बनाए गए रजिस्टर से नहीं हटाया गया है और 1948 के अधिनियम की धारा 36 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो अपीलार्थी के पंजीकरण पर प्रश्न उठाती है, जो किसी भी आधार पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में, जो किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटाने के लिए गिनाया गया है, जैसे गलती से रजिस्टर में नाम दर्ज करना या गलत सूचना या किसी भौतिक तथ्य को दबाने के कारण।

33. इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने विभिन्न पत्राचारों में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को सूचित किया है कि अपीलार्थी द्वारा रखी गई योग्यता 1948 के अधिनियम की धारा 32(1)(क) के तहत निर्धारित अनुमोदित योग्यता नहीं थी और उसका नामांकन 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।

34. इस न्यायालय का मानना है कि भारतीय फार्मेसी परिषद की संरचना में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होना चाहिए, जो राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाए, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हो और इस तरह, इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी को राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की आम निकाय बैठक में विधिवत चुना गया था और जिस दिन उनका चुनाव हुआ, उस दिन वे एक पंजीकृत फार्मासिस्ट भी थे।

35. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उठाई गई दलील कि अपीलार्थी के पास 1948 के अधिनियम की धारा 31(1)(क) के तहत अनुमोदित योग्यता नहीं है और उसका नामांकन प्रावधानों के अनुसार नहीं है, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि एक बार कोई सदस्य राज्य फार्मेसी काउंसिल द्वारा चुना जाता है और वह एक पंजीकृत फार्मासिस्ट है और यदि किसी उम्मीदवार द्वारा दोनों शर्तें पूरी की जाती हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को शामिल करने से इनकार करना केंद्रीय परिषद अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की संरचना का उल्लंघन होगा। जैसा कि 1948 के अधिनियम की धारा 3 के तहत परिकल्पना की गई है।

36. 1948 के अधिनियम की धारा 31 (डी) के अनुसार अपीलार्थी की योग्यता को पूरा नहीं

करने पर प्रश्न उठाने की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्रवाई, केंद्रीय परिषद में अपीलार्थी के नामांकन को स्वीकार करते समय एक प्रासंगिक विचार नहीं हो सकती है। यदि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई संदेह था या उन्होंने अपीलार्थी की बुनियादी योग्यता पर प्रश्न उठाया था, तो कानून के तहत प्रदान किया गया उपाय उनके लिए उपलब्ध था और इस प्रकार, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया शीर्ष निकाय होने के नाते, विधिक सहारा लेने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं थी।

37. इस न्यायालय ने पाया कि यदि प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपीलार्थी की किसी भी आधार पर फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत नहीं होने की योग्यता का मुद्दा उठाया था, तो पंजीकृत फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटाने की शक्ति कार्यकारी समिति के पास है। 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के बाद, अधिकारियों के लिए कानून के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करना हमेशा खुला रहता है।

38. इस न्यायालय ने पाया कि फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण और रजिस्टर से नाम हटाना, 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत विनियमित है।

39. इस न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालयने **राजेंद्र प्रसाद बागरिया बनाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य (2012) 3 एससीसी 212** में रिपोर्ट की गई, के मामले में, 1948 के अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य फार्मेसी काउंसिल को दी गई शक्ति पर विचार किया है और यह देखने के लिए कि 1948 के अधिनियम की धारा 32 एक पंजीकृत फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस करने का अधिकार देती है जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक होने के कारण निर्णय का उद्धरण यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

“17. यह सच है कि अधिनियम की धारा 32 एक राज्य में पंजीकृत फार्मासिस्ट को दूसरे राज्य के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार देती है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 33, राज्य परिषद को जांच की शक्ति देती है और प्रत्येक नामांकन जांच के अधीन है। इसके बाद, यदि राज्य परिषद को फार्मासिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में कोई शिकायत मिलती है, तो परिषद की कार्यकारी समिति के पास अधिनियम की धारा 36 के तहत आवश्यक जांच करने और संतुष्ट होने पर ऐसे पंजीकृत फार्मासिस्ट को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद नाम हटाने की शक्ति है।

धारा 36 (1) की उपधारा (i) वह आधार बताती है जिसके आधार पर किसी नाम को रजिस्टर से हटाया जा सकता है।

18. वर्तमान मामले में, कार्यकारी समिति इस बात से संतुष्ट थी कि अपीलार्थी को एक पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में नामांकित करने में त्रुटि हुई थी। उस स्तर पर, अपीलार्थी को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है। इस जांच में, एक राज्य परिषद निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया उस सामग्री पर गौर कर सकती है जिसके आधार पर दूसरे राज्य में पंजीकरण प्रदान किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य परिषद को ऐसे आवेदनों की जांच करने की शक्ति दी गई है, और यदि उस सीमा तक किसी त्रुटि के कारण ऐसे पंजीकरण की अनुमति दी गई है, तो वह निश्चित रूप से सुधारात्मक कदम उठा सकती है। इस तरह का निर्णय किसी अन्य राज्य की परिषद के निर्णय पर अपील में बैठने के समान नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित राज्य परिषद राज्य में फार्मासिस्टों से दवा खरीदने वाले व्यक्तियों के प्रति उत्तरदेह है। यह देखना उसका कर्तव्य है कि फार्मासिस्टों के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या आवश्यकतानुसार अनुभव हो।

19. ऐसे देश में जहां इतनी अधिक निरक्षरता है, फार्मासिस्ट की शैक्षणिक योग्यता या अनुभव से संबंधित आवश्यकताओं की ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए। यदि किसी अन्य राज्य से प्राप्त संबंधित फार्मासिस्ट का पंजीकरण उचित पंजीकरण प्रतीत नहीं होता है, तो स्थानांतरित राज्य परिषद निश्चित रूप से स्थानांतरित राज्य में फार्मासिस्ट के पेशे को जारी रखने के उद्देश्य से उस पंजीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर सकती है, या ऐसे पंजीकरण को प्रभावी होने के बाद भी रद्द कर सकती है। ऐसी जांच है प्रारंभिक पंजीकरण के समय और बाद में भी जब शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनके रजिस्टर से हटाने के उद्देश्य से जांच की जा सकती है।

20. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में, अधिनियम इस प्रकार की समस्या का समाधान प्रदान नहीं करता है। अपीलार्थी ने मारुति वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस.टी.ओ. मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। यह प्रस्तुत करने के लिए कि जहां विधानमंडल किसी विशेष पहलू के बारे में चुप है, उसे न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, मौजूदा मामले में, अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त रूप से स्पष्ट हैं, और इसलिए, प्रत्यर्थी के कार्यों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

21. किसी कल्याणकारी क़ानून के उद्देश्य को अपीलार्थी द्वारा अपनाए गए तरीकों से विफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि पहले कहा गया है, अधिनियम फार्मेसी के पेशे और अभ्यास के विनियमन के लिए बेहतर प्रावधान बनाने के लिए पारित किया गया है। जैसा कि देखा गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्राथमिक योग्यता फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होना है। यह केवल एक वैकल्पिक योग्यता के रूप में है कि तीन साल के अनुभव के साथ कुछ अन्य डिग्री की अनुमति है। अंतिम वैकल्पिक योग्यता दवा वितरण में पांच साल का अनुभव है जो संबंधित राज्य में होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम की धारा 31 के तहत, जो व्यक्ति फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और उसे उस विशेष राज्य में रहना होगा और फार्मेसी का व्यवसाय या पेशा चलाना होगा। राज्य फार्मेसी परिषद, जो पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करती है, को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के पास कम से कम पांच साल का अनुभव है, और राज्य परिषद द्वारा इसका आकलन करने के लिए स्पष्ट रूप से उस राज्य में कितना अनुभव होना चाहिए।

22. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी पांच साल से अधिक समय से सिक्किम में फार्मेसी या दवा वितरण का व्यवसाय या व्यवसाय नहीं कर रहा था। यदि अपीलार्थी द्वारा अपनाई गई ऐसी किसी विधि की अनुमति है, तो जो व्यक्ति एक राज्य में पांच साल का अनुभव होने का दावा करते हैं, वे उस राज्य में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए केवल कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में जाएंगे, और उसके बाद अपने राज्य के लिए उस पंजीकरण के हस्तांतरण की मांग करेंगे। मौजूदा मामले में, पहले प्रत्यर्थी के पास यह जांचने का कोई अवसर नहीं था कि अपीलार्थी के पास राजस्थान में पांच साल का अनुभव था या नहीं। अपीलार्थी का एकमात्र निवेदन यह है कि तथाकथित अनुभव से संबंधित कागजात सिक्किम ट्रिब्यूनल में अपीलार्थी के नियोक्ता के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए थे, जहां उसने सिर्फ दो महीने काम किया था। अपीलार्थी की याचिका स्वीकार करने के परिणामों का मतलब यह होगा कि स्थानांतरित राज्य को एक व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में स्वीकार करना होगा, जब उसके पास पांच साल से अधिक के अनुभव के संबंध में सामग्री की जांच करने का अवसर नहीं होगा। यदि ऐसे किसी भी तरीके की अनुमति दी जाती है तो पंजीकरण करने वाले राज्य में पांच साल के अनुभव की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

40. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सर्वोच्च निकाय होने के नाते किसी भी सदस्य की पात्रता पर विचार करने का पूरा अधिकार है, भले ही वह राज्य फार्मेसी काउंसिल द्वारा चुना गया हो और पंजीकृत फार्मासिस्ट भी हो और यदि अपात्र और अयोग्य व्यक्ति की अनुशंसा की जाती है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नामांकन को स्वीकार करने से इंकार करने की अपनी शक्ति है, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, हालांकि, रजिस्टर से फार्मासिस्ट के रूप में किसी व्यक्ति को हटाने के लिए जो पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए बनाए रखा जाता है, उसे उसी तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कानून के तहत निर्धारित है। हालाँकि, इस न्यायालय को यह मानने में ग़लत नहीं समझा जा सकता है कि केंद्रीय परिषद अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया के पास किसी व्यक्ति की अहर्ता या योग्यता पर प्रश्न उठाने की कोई शक्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग उस तरीके से किया जा सकता है, जो 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया गया है।

41. इस न्यायालय ने यह भी पाया कि यदि राज्य फार्मेसी काउंसिल का कोई भी सदस्य, जो विधिवत निर्वाचित है और एक पंजीकृत फार्मासिस्ट भी है, को शीर्ष निकाय द्वारा स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय परिषद की संरचना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। और यह उस लोकतांत्रिक अधिकार के भी विरूद्ध होगा जो राज्य फार्मेसी काउंसिल को केंद्रीय परिषद में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के सदस्य का चुनाव करने के लिए दिया गया है।

42. प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान अधिवक्ता की दलील कि 1948 के अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) उन्हें छूट देती है और उनकी कार्रवाई पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, यह न्यायालय इस तरह की दलील को स्वीकार करने से डरती है जैसा 1948 के अधिनियम की धारा 7 पद की अवधि और आकस्मिक रिक्तियों से संबंधित है और 1948 के अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) केवल केंद्रीय परिषद के अधिनियम की रक्षा करती है यदि वह किसी रिक्ति के होने या पूर्ण कोरम के न होने के बावजूद काम करती है। वहां नहीं है। इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, किसी भी रिक्ति को खाली छोड़ने के कारण केंद्रीय परिषद की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी गई है

और इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा अपीलार्थी को केंद्रीय परिषद-फार्मेसी के सदस्य के रूप में स्वीकार न करने के संबंध में है। बावजूद इसके कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा उनके पक्ष में अनुशंसा की है।

43. प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति कि 1948 के अधिनियम की धारा 45 जांच आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करती है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने तदनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, यह न्यायालय प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की ऐसी दलील को स्वीकार करने से डरता है क्योंकि उक्त धारा मामले के वर्तमान तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है और इसके अलावा यदि केंद्रीय परिषद 1948 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है तो जांच आयोग नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्ति है और इस प्रकार, 1948 के अधिनियम की धारा 45 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।

44. जहां तक **फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम डॉ.एस.के.तोशनीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एवं अन्य (सुप्रा.),** के मामले में प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा रखी गई निर्भरता के संबंध में, इस न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालयके समक्ष उक्त मामले में मुद्दा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (एआईसीटीई अधिनियम) में निहित प्रावधानों की तुलना में 1948 के अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में था। उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एआईसीटीई अधिनियम तकनीकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा पर लागू एक सामान्य कानून है, जबकि 1948 का अधिनियम फार्मेसी के क्षेत्र में एक विशेष अधिनियम है और इस प्रकार, 1948 का अधिनियम इस संबंध में लागू होगा। फार्मासिस्टों के लिए निर्धारित योग्यताएं और फार्मासिस्ट के रूप में उनका पंजीकरण और भविष्य के पेशेवर आचरण का विनियमन आदि का एकमात्र कर्तव्य फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का था, न कि एआईसीटीई का। उक्त मामला वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे पर लागू नहीं होता है और इससे कोई सहायता नहीं मिलती है।

45. इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है और इस तरह, उन्होंने अपीलार्थी को सेंट्रल काउंसिल-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में सदस्य के रूप में शामिल करने से इनकार करने में मनमाने ढंग से काम किया है।

46. यह न्यायालय तदनुसार, दिनांक 27.11.2020, 04.12.2020 और 04.06.2021 के पत्राचार को खारिज कर देता है और निर्देश देता है कि अपीलार्थी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में सेंट्रल काउंसिल-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में शामिल होने का पात्र है और प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तदनुसार अधिसूचना जारी करना भी आवश्यक है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि अपीलार्थी, जो वर्ष 2020 में चुना गया था, ने अपने कार्यकाल के लगभग दो साल खो दिए हैं और ऐसे में, प्रत्यर्थी-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में अपीलार्थी के नाम को इस न्यायालय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अधिसूचित करने की कवायद करेगी।

47. नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार की जाती है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Solanki DS, PS

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।